न्यायालय, अखिलेश प्रताप सिंह,
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।
सी.आर.आई.–3375 / 2014,
निर्णय की तिथि–19.12.2025

न्यायालय श्री अखिलेश प्रताप सिंह, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर, बिहार ।

उपस्थित– अखिलेश प्रताप सिंह

दिनांक–19.12.2025

सी0आर0आई0–3375 / 2014 विचारण सं0–2112 / 2025

पटोरी थाना काण्ड सं0–247 / 2011, दिनांक–03.12.2011

राज्य द्वारा धर्मेन्द्र कुमार सिंह **बनाम** विनोद सिंह वगैरह

अभियोजन	राज्य द्वारा धर्मेन्द्र कुमार सिंह पिता विरेन्द्र सिंह, ग्राम–डुमरी दक्षिण, थाना–पटोरी, जिला–समस्तीपुर.....सूचक
अभियोजन की ओर से	श्री सुष्मित कुमार, सहायक अभियोजन पदाधिकारी।
अभियुक्तगण	1. विनोद सिंह, रितेश कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह, विपिन कुमार सिंह एवं प्रवीण कुमार सिंह, सां0 डुमरी दक्षिणी, थाना मोहनपुर, जिला–समस्तीपुर.....अभियुक्तगण
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री राजीव कुमार

अपराध की तिथि	06.11.2011
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	03.12.2011
संज्ञान की तिथि	01.05.2012
आरोप का गठन की तिथि	18.12.2012
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	18.12.2012
313 का बयान की तिथि	08.05.2024
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	02.12.2025
निर्णय की तिथि	19.12.2025
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	नहीं

अभियुक्त विवरणी

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप गठन की धारा	दोष मुक्ति /	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गयी अवधि
1.	विपिन कुमार सिंह	––	14.12.2012	अंतर्गत धारा–341, 323, 324, 447, 504 / 34 भा0द0वि0	हॉ	–	नहीं
2.	मुकेश कुमार सिंह	––	तथैव	तथैव	तथैव	–	तथैव
3.	विनोद सिंह	––	तथैव	तथैव	तथैव	–	तथैव

4.	रितेश कुमार सिंह	––	तथैव	तथैव	तथैव	–	तथैव
5.	प्रवीण कुमार सिंह	––	तथैव	तथैव	तथैव	–	तथैव

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय के गवाहों की सूची

क. अभियोजन गवाह,

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्षी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1.	**निरंजन कुमार सिंह**	**पक्षद्रोही**
2.	**नवीन सिंह**	**पक्षद्रोही**
3.	**धर्मेन्द्र कुमार सिंह**	**सूचक**
4.	**कुंदन कुमार सिंह**	**सूचक के भाई**
5.	**विरेन्द्र सिंह**	**सूचक के पिता**
6.	**लक्ष्मण कुमार सिंह**	**सूचक के भाई**

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्षी, पुलिस गवाह, विषेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	**नहीं**	**नहीं**

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्षी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	**नहीं**	**नहीं**

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय के प्रदर्श की सूची

क. अभियोजन प्रदर्श, 02

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	**प्रदर्श–1**	**थाने में दिए लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर।**

ख. बचाव पक्ष प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	**प्रदर्श–ए**	**पटोरी थाना कांड सं0–238 / 2011 की प्रमाणित प्रति**
2.	**प्रदर्श–बी**	**पटोरी थाना कांड सं0–238 / 2011 के निर्णय की प्रमाणित प्रति।**

ग. न्यायालय प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	नहीं	नहीं

घ. वस्तु प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	नहीं	नहीं

निर्णय

1. प्रस्तुत अभियोजन वाद में उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण **विनोद सिंह, रितेश कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह, विपिन कुमार सिंह एवं प्रवीण कुमार सिंह** के विरूद्ध अंतर्गत धारा–**341, 323, 324, 447, 504 / 34** भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का निर्धारण कर विचारण किया गया।

2. प्रस्तुत मामले में अभियोजन के प्राथमिकी का संक्षिप्त सार यह है कि दिनांक–06.11.2011 को सूचक बारह बजे दिन में अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, उसी समय विनोद सिंह, रितेश कुमार, मुकेश कुमार, विपिन कुमार, प्रवीण कुमार एकाएक आ गए। विनोद सिंह बोले कि पूरे परिवार को खींचकर मारो और गाली देने लगे। गाली देने से सूचक के पिता बिरेन्द्र सिंह ने मना किया तो उनके पिता के साथ मारपीट करने लगे। हल्ला होने पर उनके तीन भाई बचाने आए। सभी अभियुक्त हाथ में कट्टा लिए हुए थे। सभी जान मारने के नियत से सिर और शरीर के कई जगह काटकर जख्मी कर दिए। उनके पिताजी के गर्दन से सोने का चैन विनोद सिंह ने छीन लिया। ग्रामीणों के जुटने पर सभी लोग भाग निकले।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा दिनांक–31.03.2012 को प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–01.05.2012 को अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक–18.12.2012 को भा0द0वि0 की धारा–**341, 323, 324, 447, 504 / 34** के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया।

4. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तों का बयान दिनांकः–08.05.2024 को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लिया गया, जिसके द्वारा उसने अपने आपको निर्दोष बताया।

5. प्रस्तुत विचारण में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–**341, 323, 324, 447, 504 / 34** भा0दं0सं0 के आरोप को युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित किया है?

मन्तव्य

6. प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से कुल छः साक्षी नामतः अ0सा0सं0–1 निरंजन कुमार सिंह, अ0सा0सं0–2 नवीन सिंह, अ0सा0सं0–3 धर्मेन्द्र कुमार सिंह(सूचक), अ0सा0सं0–4 कुंदन कुमार सिंह, अ0सा0सं0–5 विरेन्द्र सिंह एवं अ0सा0सं0–6 लक्ष्मण

कुमार सिंह को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा न तो अभियोजन की ओर से तथा न ही बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

अ0सा0सं0–3 धमेन्द्र कुमार सिंह(सूचक) ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के दौरान कहा है कि घटना दिनांक–06.06.2011 की समय बारह बजे दिन की है। उनके घर पर घटना हुई। उनके पापा बिरेन्द्र कुमार सिंह बैठे हुए थे तो विनोद सिंह, मुकेश, रितेश, प्रवीण मारने को बोले। वे लोग हाथ में रॉड, कट्टा, खंती लिए हुए थे। मारने के प्लान से आए थे। पापा को मारकर माथा फोड़ दिया। तीनों भाई आए तो बचाए। सूचक पर लाठी–डंडा से मारा गया। सर फट गया, हाथ भी कट गया। विनोद सिंह जाते–जाते सोने का चैन छीन लिए। प्राथमिकी पर हस्ताक्षर को पहचान पर प्रदर्श–1 अंकित किया गया। **प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि** उनलोगों पर पटोरी थाना कांड सं0–238 / 2011 अभियुक्तों द्वारा किया गया है। संधिपत्र दबाव में लगाए थे। मुदालय द्वारा किए गए केस में उनको संधि के आधार पर बरी कर दिया गया और इस केस में संधिपत्र दाखिल किए हैं जिस पर उनका हस्ताक्षर है।

अ0सा0सं0–1 निरंजन कुमार सिंह एवं अ0सा0सं0–2 नवीन सिंह ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के दौरान कहा है कि घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

अ0सा0सं0–4 कुंदन कुमार सिंह ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के दौरान प्राथमिकी का समर्थन किया है। **प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि** उसी दिन की विवाद को लेकर मुदालय द्वारा उनलोगों पर केस किया गया था। उस केस में संधि हो गया था। इस केस में भी संधिपत्र दाखिल किया है। पहले वाले केस में संधि के आधार पर उनलोगों को रिहा किया गया है। उनलोगों ने संधिपत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

अ0सा0सं0–5 विरेन्द्र सिंह ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में प्राथमिकी का समर्थन किया है। **प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि** कंडिका–12 में उसी दिन की घटना को लेकर मुदालय ने उनलोगों पर केस किया था। उस केस के बाद हमलोगों ने केस किया। दोनों केस में संधिपत्र लगा था। संधि के आधार पर उनलोगों को रिहा किया जा चुका है। संधिपत्र पर वह भी हस्ताक्षर किए हैं।

अ0सा0सं0–6 लक्ष्मण कुमार सिंह ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में प्राथमिकी का समर्थन किया है। **प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि** उसी दिन की घटना को लेकर उनके चाचा ने भी केस किया था जिसमें वह भी थे। संधि पर वह भी हस्ताक्षर किए थे। संधि के आधार पर केस समाप्त हो गया है। इस वाद में भी उनके भाई धर्मेन्द्र संधि लगाया था।

7. आपराधिक मामलों में मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। अभियोजन बचाव पक्ष की कमियों का सहारा नहीं ले

सकता है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा–**341, 323, 324, 447, 504 / 34** के अंतर्गत आरोप का निर्धारण किया गया है।

8. उभय पक्षों का बहस सुना। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा–**341, 323, 324, 447, 504 / 34** के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया। अभियोजन द्वारा विचारण के दौरान अपने वाद के समर्थन में कुल छः मौखिक गवाहों को प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख के अवलोकन तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में बनाए गए अभियुक्तों के द्वारा उसी दिन की घटना को लेकर सूचक तथा उसके परिवार के सदस्यों पर भी मुकदमा किया गया था जो इस मुकदमे से पहले पटोरी थाना कांड सं0–238 / 2011, दिनांक–19.11.2011 को दर्ज किया गया था। तथाकथित घटना दिनांक–06.11.2011 को घटित होने की बात कही गई थी। इस मामले में सूचक द्वारा प्राथमिकी दिनांक–03.12.2011 को दर्ज कराई गई थी। सूचक द्वारा विलंब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है। ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्तों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी इस मामले में दर्ज कराई गई प्राथमिकी से पूर्व दर्ज कराई गई थी तथा सूचक सहित अन्य गवाहों ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तों के द्वारा दर्ज कराए गए मामलों में संधिपत्र के आधार पर सूचक तथा उनके सदस्यों को न्यायालय द्वारा रिहा किया जा चुका है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस मामले में भी सूचक के द्वारा संधिपत्र दाखिल किया गया है जिस पर सभी पक्षकारों का हस्ताक्षर है। पुनः सूचक द्वारा अब इस बात से इनकार किया जा रहा है कि उन्होंने संधिपत्र दबाव में लगाया था, परन्तु ऐसा कोई प्रमाणिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष मात्र कथन के अतिरिक्त नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे यह प्रतीत हो कि संधिपत्र पर हस्ताक्षर किसी अनुचित दबाव या कपट या धोखे के माध्यम से कराई गई थी।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध लगाई गई धाराओं में भा0द0वि0 की धारा–324 को छोड़कर अन्य धाराएँ सुलहनीय प्रकृति की है। धारा–324 के संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत गवाहों ने कहा है कि अभियुक्तों के द्वारा सूचक के पिताजी पर प्रहार कर सिर फाड़ दिया गया था जिसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कराया गया था, परन्तु अभियोजन द्वारा कथनों के सम्पुष्टि हेतु कोई जख्म प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया और न ही चिकित्सक को प्रस्तुत किया गया है। तद्नुसार धारा–324 के अंतर्गत दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त सामग्री का अभाव है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं साक्ष्यों के विश्लेषण के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है तथा लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में भी असफल रहा है। तद्नुसार–

न्यायालय, अखिलेश प्रताप सिंह,
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।
सी.आर.आई.–3375 / 2014,
निर्णय की तिथि–19.12.2025

आदेश

9. अभियुक्तगण **विनोद सिंह, रितेश कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह, विपिन कुमार सिंह एवं प्रवीण कुमार सिंह** को भा0द0वि0 की धारा–**341, 323, 447, 504 / 34** को संधि के आधार पर तथा धारा–**324** को साक्ष्य के अभाव में ***दोषमुक्त*** किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से ***मुक्त*** किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित एवं हस्ताक्षरित होकर

निर्णय आज खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

लेखापित

(अखिलेश प्रताप सिंह),
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।
दिनांकः–19.12.2025

(अखिलेश प्रताप सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।
दिनांकः–19.12.2025